**International Research Journal of Commerce and Law**
Volume 14 Issue 04, April 2026 ISSN: 2349-705X Impact Factor: 8.843
Journal Homepage: http://ijmr.net.in, Email: irjmss@gmail.com
Double-Blind Peer Reviewed Refereed Open Access International Journal

# छत्तीसगढ़ में ग्रामीण उद्यमिता और स्वरोजगार सृजन में खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड की भूमिका

**डॉ. अनूप श्रीवास्तव [1] , प्रदीप कुमार निर्मलकर [2]**

**1 प्राध्यापक (वाणिज्य विभाग) श्री रावतपुरा सरकार विश्वविद्यालय रायपुर**

**2 सहायक प्राध्यापक (वाणिज्य विभाग) शासकीय वीर सुरेन्द्र साय स्नातकोत्तर महाविद्यालय गरियाबंद**

## सारांश

भारत जैसे विकासशील देश में ग्रामीण अर्थव्यवस्था का सुदृढ़ीकरण अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि देश की अधिकांश जनसंख्या ग्रामीण क्षेत्रों में निवास करती है। छत्तीसगढ़ एक ऐसा राज्य है जहाँ प्राकृतिक संसाधनों की प्रचुरता होने के बावजूद औद्योगिक विकास अपेक्षाकृत सीमित रहा है। ऐसी परिस्थिति में खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड का महत्व और अधिक बढ़ जाता है, क्योंकि यह संस्था स्थानीय संसाधनों, पारंपरिक कौशल एवं श्रम आधारित गतिविधियों को प्रोत्साहित करते हुए रोजगार सृजन का सशक्त माध्यम बनती है।यह शोध पत्र छत्तीसगढ़ राज्य में ग्रामीण उद्यमिता एवं स्वरोजगार सृजन में 'खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड' की भूमिका का एक विस्तृत एवं विश्लेषणात्मक अध्ययन प्रस्तुत करता है। अध्ययन की समयावधि वर्ष 2020 से 2025 तक निर्धारित की गई है, जिसमें राज्य में संचालित विभिन्न योजनाओं, कार्यक्रमों, वित्तीय सहायता, प्रशिक्षण गतिविधियों तथा उत्पादन एवं विपणन से संबंधित पहलुओं का गहन विश्लेषण किया गया है।

इस अध्ययन का मुख्य उद्देश्य यह समझना है कि खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड ने किस प्रकार ग्रामीण क्षेत्रों में उद्यमिता को बढ़ावा दिया है तथा स्वरोजगार के अवसरों का विस्तार किया है। इसके अंतर्गत यह भी विश्लेषण किया गया है कि विभिन्न सरकारी योजनाएँ, जैसे प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम , राज्य सरकार की मुख्यमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम किस प्रकार लाभार्थियों को वित्तीय सहायता प्रदान कर रही हैं तथा नए उद्यमों की स्थापना में सहायक सिद्ध हो रही हैं।अध्ययन में द्वितीयक डेटा का उपयोग किया गया है, जिसमें सरकारी रिपोर्ट, खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग के प्रकाशन, छत्तीसगढ़ खादी ग्रामोद्योग बोर्ड की वार्षिक रिपोर्ट तथा विभिन्न शोध पत्र एवं जर्नल शामिल हैं। डेटा के विश्लेषण के लिए वर्णनात्मक एवं तुलनात्मक विधियों का प्रयोग किया गया है, जिससे विभिन्न वर्षों के बीच विकास की प्रवृत्तियों को समझा जा सके।

शोध के निष्कर्षों से यह स्पष्ट होता है कि 2020 से 2025 के दौरान छत्तीसगढ़ में खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड द्वारा संचालित योजनाओं के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के अवसरों में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। विशेष रूप से युवाओं एवं महिलाओं को स्वरोजगार के लिए प्रोत्साहित किया गया है, जिससे सामाजिक एवं आर्थिक सशक्तिकरण को बढ़ावा मिला है। स्वयं सहायता समूहों के माध्यम से महिलाओं की भागीदारी में वृद्धि हुई है, जिससे उनकी आय में सुधार हुआ है और वे आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनी हैं।हालांकि, इस क्षेत्र में कुछ महत्वपूर्ण चुनौतियाँ भी सामने आई हैं। इनमें प्रमुख रूप से विपणन नेटवर्क की कमी, आधुनिक तकनीक का अभाव, वित्तीय संसाधनों की सीमित उपलब्धता तथा निजी क्षेत्र से प्रतिस्पर्धा शामिल हैं। कई मामलों में लाभार्थियों को योजनाओं की जानकारी का अभाव भी देखा गया है, जिससे वे उपलब्ध अवसरों का पूर्ण लाभ नहीं उठा पाते हैं। इसके अतिरिक्त, प्रशिक्षण कार्यक्रमों की गुणवत्ता एवं प्रभावशीलता में सुधार की आवश्यकता भी महसूस की गई है।

अध्ययन के आधार पर यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड छत्तीसगढ़ में ग्रामीण विकास, उद्यमिता संवर्धन एवं स्वरोजगार सृजन का एक महत्वपूर्ण आधार स्तंभ है। यह न केवल रोजगार के अवसर प्रदान करता है, बल्कि पारंपरिक उद्योगों के संरक्षण एवं संवर्धन में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यदि इस क्षेत्र में तकनीकी नवाचार, वित्तीय सुलभता एवं विपणन संरचना को और अधिक सुदृढ़ किया जाए, तो यह ग्रामीण अर्थव्यवस्था को और अधिक मजबूत बना सकता है।

**शब्द कुंजी .** उद्यमिता, रोजगार सृजन, ग्रामोद्योग

**प्रस्तावना**

भारत जैसे विकासशील देश में, जहाँ जनसंख्या का एक बड़ा हिस्सा ग्रामीण क्षेत्रों में निवास करता है, ग्रामीण अर्थव्यवस्था का सुदृढ़ीकरण राष्ट्र के समग्र विकास की आधारशिला है। छत्तीसगढ़ राज्य, जो अपनी समृद्ध सांस्कृतिक विरासत और प्रचुर प्राकृतिक संसाधनों के लिए जाना जाता है, ग्रामीण कारीगरों और पारंपरिक उद्योगों का गढ़ रहा है। ग्रामीण क्षेत्रों में बेरोजगारी को कम करने और स्थानीय संसाधनों के अधिकतम उपयोग के उद्देश्य से, 20 जुलाई 2001 को छत्तीसगढ़ खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड का गठन किया गया।

खादी और ग्रामोद्योग केवल वस्त्र उत्पादन तक सीमित नहीं हैं, बल्कि ये न्यूनतम पूंजी निवेश में अधिकतम रोजगार सृजन का एक सशक्त माध्यम हैं। ये उद्योग ग्रामीण कारीगरों, विशेष रूप से महिलाओं, अनुसूचित जाति , अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग के आर्थिक सशक्तिकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। यह न केवल ग्रामीण आबादी को आत्मनिर्भर बनाता है, बल्कि शहरों की ओर होने वाले पलायन को रोकने में भी सहायक सिद्ध होता है।छत्तीसगढ़ खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड का प्राथमिक लक्ष्य ग्रामीण क्षेत्रों में सूक्ष्म और लघु इकाइयों की स्थापना के लिए वित्तीय सहायता, तकनीकी प्रशिक्षण और विपणन सहायता प्रदान करना है। बोर्ड केंद्र सरकार की प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम और राज्य सरकार की मुख्यमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम जैसी महत्वाकांक्षी योजनाओं के क्रियान्वयन के लिए नोडल एजेंसी के रूप में कार्य करता है।

यह अध्ययन इस बात पर प्रकाश डालता है कि कैसे पिछले पांच वर्षों (2020–2025) में विभिन्न सरकारी नीतियों और वित्तीय अनुदानों ने ग्रामीण उद्यमिता के परिदृश्य को बदला है। इसमें खादी उत्पादन केंद्रों की कार्यप्रणाली, कारीगरों को मिलने वाले लाभांश और बाजार में खादी उत्पादों की बढ़ती मांग का विस्तृत मूल्यांकन किया गया है।

## उद्देश्य

1. छत्तीसगढ़ में ग्रामीण उद्यमिता एवं स्वरोजगार सृजन में खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड की भूमिका का विश्लेषण करना।
2. वर्ष 2020–25के दौरान इसकी योजनाओं एवं कार्यक्रमों के प्रभाव का मूल्यांकन करना।

## शोध परिकल्पना

1. छत्तीसगढ़ में ग्रामीण उद्यमिता एवं स्वरोजगार सृजन पर खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड का महत्वपूर्ण प्रभाव है।

## प्रमुख योजनाओं का विश्लेषण

बोर्ड का मुख्य उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्र में रोजगार के अवसरों का सृजन कर ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ बनाना है,साथ ही विक्रय योग्य वस्तुओं का निर्माण कर विकेंद्रित अर्थव्यवस्था को प्रोत्साहन देना व ग्रामीण क्षेत्रों में आत्मनिर्भरता की भावना को प्रोत्साहित कर शोषण रहित एवं समता मूलक समाज की रचना का व्यापक उद्देश्य है। इस व्यापक उद्देश्य को निम्नानुसार वर्गीकृत किया जा सकता है – खादी तथा ग्रामोद्योग की स्थापना ,विकास एवं संवर्धन में सहयोग एवं आर्थिक सहायता उपलब्ध कराना , खादी तथा ग्रामोद्योग की स्थापना हेतु उद्यमी को प्रोत्साहित करना , खादी तथा ग्रामोद्योग के लिए संयंत्र, मशीनें और उपकरणों का प्रदाय एवं कच्चे माल की आपूर्ति।

**प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम**

खादी और ग्रामोद्योग आयोग (भारत सरकार )की यह प्रायोजित योजना है , इस योजना के तहत शहरी एवं ग्रामीण अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति ,अन्य पिछड़ा वर्ग ,सामान्य वर्ग के लिए सेवा क्षेत्र हेतु 20 लाख रुपए तथा विनिर्माण क्षेत्र हेतु 50 लाख रुपए तक लागत की परियोजनाएं स्वीकार की जाती है। जिसमे ग्रामीण क्षेत्र के हितग्राहियों के लिए 35% तथा शहरी क्षेत्र के हितग्राहियों को 25% अनुदान बैंकों के माध्यम से उपलब्ध कराया जाता है ,परंतु सामान्य वर्ग के पुरुष ग्रामीण हितग्राही को 25% तथा शहरी हितग्राही को 15% अनुदान का लाभ दिया जाता है। इस योजना में सामान्य पुरुष हितग्राही को 10% तथा अन्य वर्गों एवं सामान्य वर्ग की महिला हितग्राही को 5% स्वयं का अंशदान भी विनियोजित करना होता है।

**प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम (प्रगति विवरण)**

(राशि लाख रू. में)

| क्र. | वर्ष | इकाई संख्या | प्रो. राशि | अनुदान राशि | रोजगार |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2020–21 | 1020 | 6589.08 | 2196.36 | 8160 |
| 2 | 2021–22 | 853 | 5323.41 | 1774.47 | 6824 |
| 3 | 2022–23 | 754 | 5392.59 | 1797.53 | 6032 |
| 4 | 2023–24 | 860 | 6838.11 | 2279.37 | 6880 |
| 5 | 2024–25 (दिसंबर 2024) | 354 | 2659.71 | 886.57 | 3894 |

**मुख्यमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम**

यह राज्य शासन द्वारा प्रायोजित योजना है। इस योजना के अंतर्गत परियोजना लागत राशि सेवा क्षेत्र हेतु ₹1 लाख एवं विनिर्माण क्षेत्र हेतु ₹3 लाख तथा अनुदान राशि 35% देय है , जिसमें लाभार्थी द्वारा स्वयं का 5% अंशदान विनियोजन करना होता है। अनुदान राशि बैंकों के माध्यम से उपलब्ध कराया जाता है। इस योजना अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्रों के अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग के लोगों को छोटे–छोटे ग्रामोद्योग इकाइयों की स्थापना हेतु लाभान्वित कर ग्रामोद्योग का विकास एवं रोजगार को बढ़ावा दिया जाता है।

मुख्यमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम (प्रगति विवरण)

(राशि लाख रू. में)

| क्र. | वर्ष | इकाई संख्या | प्रो. राशि | अनुदान राशि |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2020–21 | 465 | 1459.14 | 486.38 |
| 2 | 2021–22 | 544 | 1142.40 | 380.80 |
| 3 | 2022–23 | 453 | 976.77 | 325.59 |
| 4 | 2023–24 | 456 | 1057.98 | 352.66 |
| 5 | 2024–25 (दिसंबर 2024) | 278 | 635.40 | 211.80 |

**कारीगर प्रशिक्षण**

ग्रामीण क्षेत्र के युवक युवतियों को विभिन्न ट्रेडों में विभाग द्वारा प्रशिक्षण उपलब्ध कराया जाता है जिससे प्रशिक्षित युवक युवतियों को स्वरोजगार स्थापित बैंकों के माध्यम से ऋण उपलब्ध कराने में मदद मिलती है। प्रशिक्षण विभिन्न ट्रेडों में दिया जाता है साथ –साथ व्यवसाय हेतु कच्चा माल विपणन एवं वित्तीय व्यवस्था के संबंध में व्यावहारिक ज्ञान कराया जाता है।

**प्रशिक्षण हेतु राशि एवं प्रशिक्षण की प्रगति**

(राशि लाख रू. में)

| क्र. | वर्ष | राशि | प्रशिक्षण |
|---|---|---|---|
| 1 | 2020–21 | 29.42 | 274 |
| 2 | 2021–22 | – | शासन द्वारा प्रशिक्षण व्यय पर प्रतिबंध |
| 3 | 2022–23 | 48.00 | 350 |
| 4 | 2023–24 | 54.00 | 325 |
| 5 | 2024–25 (दिसंबर 2024) | 25.20 | 205 |

**विभागीय उत्पादन केन्द्रों का संचालन**

छत्तीसगढ़ खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड का मुख्य उद्देश्य ग्रामीण अर्थव्यवस्था का समुचित उपयोग कर गाँवों को खुशहाल बनाना, गांव के लोगों को रोजगार उपलब्ध कराना, ग्रामीणों के जीवन स्तर को ऊपर उठाकर इन्हें समाज में सम्मान दिलाना है।इसके तहत् गांव में खादी उत्पादन केन्द्रों की स्थापना की गई है जिसमें महिलायें अपने गृहकार्य को पूर्ण कर शेष समय में चरखा चलाकर पोनी से सूत कातती हैं, और पुरूष बुनाई कर पारिश्रमिक प्राप्त करते हैं। इससे घर परिवार का भरण पोषण करने के लिए अतिरिक्त आय प्राप्त होती है एवं अतिरिक्त समय का सदुपयोग होता है। इस प्रकार खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड गांवों में अम्बर चरखे के माध्यम से खुशहाली के साथ रोजगार मुहैया कराकर पलायन को रोकने में सहायक हुआ है।

छत्तीसगढ़ खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड द्वारा 09 खादी उत्पादन केन्द्र एवं 01 बांस शिल्प केन्द्र संचालित किया जा रहा है जिसमें 593 कत्तिन/बुनकरों को स्थाई रोजगार दिया जा रहा है, इस कार्य से उनकी आर्थिक स्थिति में सुधार के साथ–साथ अतिरिक्त आय में वृद्धि भी हो रहा जो उनके आजीविका का साधन बना है।

खादी उत्पादन की प्रगति

(राशि लाख रू. में)

| क्र. | वर्ष | उत्पादन | रोजगार |
|---|---|---|---|
| 1 | 2020–21 | 308.03 | 585 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 2 | 2021–22 | 445.28 | 587 |
| 3 | 2022–23 | 388.19 | 589 |
| 4 | 2023–24 | 374.72 | 589 |
| 5 | 2024–25<br>(दिसंबर 2024) | 318.85 | 593 |

**विक्रय भंडार**

छत्तीसगढ़ खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड द्वारा संचालित भंडार अपने ग्राहकों को उनकी आवश्यकता अनुसार वस्त्र प्रदाय करती है तथा शासकीय वस्त्र आपूर्ति का कार्य करती है। इन भंडारों में खादी उत्पादन केन्द्रों के वस्त्र एक सूती, दो सूती, पोली खादी, कोसा एवं रेशम, दरी, टावेल, नेपकिन, चादर एवं ड्रेस मटेरियल तथा ग्रामोद्योग सामग्री का विक्रय किया जाता है।

खादी तथा ग्रामोद्योग भण्डारों में विक्रय की प्रगति

(राशि लाख रू. में)

| क्र. | वर्ष | विक्रय |
|---|---|---|
| 1 | 2020–21 | 782.09 |
| 2 | 2021–22 | 1213.71 |
| 3 | 2022–23 | 2431.26 |
| 4 | 2023–24 | 2614.44 |
| 5 | 2024–25<br>(दिसंबर 2024) | 2193.08 |

**अभिनव योजनायें**

कत्तिन अनुदान (स्पिनिंग हेतु सहायता) – खादी उत्पादन केन्द्रों में कार्य करने वाली कत्तिनों को प्रति गुण्डी मजदूरी 10.00 रूपये एवं राज्य शासन अनुदान राशि 0.75 रूपये इस प्रकार 10.75 रूपये प्रति गुण्डी भुगतान किया जाता है, जिससे प्रति कत्तिन प्रतिदिन लगभग 30–40 गुण्डी तैयार करती है। जिसकी मजदूरी रूपये 320–430 प्रतिदिन प्राप्त करती है। इससे सम्मानजनक जीवन–निर्वाह करती हैं।

विगत वर्षों की प्रगति इस प्रकार है

(राशि लाख रू. में)

| क्र. | वर्ष | गुण्डी की संख्या | कत्तिन अनुदान |
|---|---|---|---|
| 1 | 2020–21 | 514083 | 3.85 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 2 | 2021–22 | 600000 | 4.50 |
| 3 | 2022–23 | 910296 | 6.83 |
| 4 | 2023–24 | 1297796 | 9.73 |
| 5 | 2024–25 (दिसंबर 2024) | 1416604 | 10.62 |

**उत्पादन अनुदान –**

छत्तीसगढ़ खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड द्वारा विभागीय उत्पादन केन्द्रों के माध्यम से रोजगार उपलब्ध कराया जाता है। उत्पादित खादी के लागत मूल्य का 10% राज्य शासन से अनुदान के रूप में उत्पादन अनुदान राशि बुनकरों को दी जाती है।

(राशि लाख रू. में)

| क्र. | वर्ष | उत्पादन (मूल्य) | उत्पादन अनुदान (राशि) |
|---|---|---|---|
| 1 | 2020–21 | 112.91 | 11.29 |
| 2 | 2021–22 | 112.00 | 11.20 |
| 3 | 2022–23 | 207.24 | 20.72 |
| 4 | 2023–24 | 191.13 | 19.11 |
| 5 | 2024–25 (दिसंबर 2024) | 132.13 | 13.21 |

**विभागीय रोजगार –**

छत्तीसगढ़ खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड द्वारा 09 खादी उत्पादन केन्द्रों तथा 01 बांस शिल्प केन्द्र संचालित है। विभागीय उत्पादन केन्द्रों में राज्य की कत्तिन व बुनकरों को निरंतर रूप से रोजगार उपलब्ध कराया जाता है। चूंकि उत्पादन केंद्रों में कार्यरत कत्तिन, बुनकरों द्वारा किये जाने वाले उत्पादन कार्य में उनके परिवार के सदस्य भी सम्मिलित रूप से कार्य संपादन करते है इस प्रकार औसतन 01 कत्तिन परिवार से 04 व्यक्तियों को रोजगार प्राप्त होता है। इस प्रकार विभागीय उत्पादन केन्द्रों में निरंतर रूप से निम्नानुसार कत्तिन, बुनकरों को प्रत्यक्ष एवं परोक्ष रूप से रोजगार दिया जा रहा है।

खादी उत्पादन केन्द्रों में कार्यरत

| क्र. | वर्ष | कत्तिन | बुनकर | कारीगर (प्रत्यक्ष रूप से उत्पादन केन्द्रों में कार्यरत) | कारीगर (परिवार के अन्य सदस्य अप्रत्यक्ष रूप से उत्पादन केन्द्रों में कार्यरत) | कुल रोजगार |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2020–21 | 500 | 85 | 585 | 1755 | 2340 |
| 2 | 2021–22 | 496 | 85 | 585 | 1755 | 2340 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 2022–23 | 504 | 85 | 589 | 1767 | 2356 |
| 4 | 2023–24 | 483 | 71 | 554 | 1662 | 2216 |
| 5 | 2024–25 (दिसंबर 2024) | 514 | 79 | 593 | 1779 | 2372 |

पं. दीनदयाल उपाध्याय ग्रामोद्योग शिल्प केन्द्र (बांसकला) में कार्यरत

| क्र. | वर्ष | कारीगर (प्रत्यक्ष रूप से बांसकला केन्द्रों में कार्यरत) | कारीगर (परिवार के अन्य सदस्य अप्रत्यक्ष रूप से बांसकला केन्द्रों में कार्यरत) | कुल रोजगार |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2020–21 | 42 | 126 | 168 |
| 2 | 2021–22 | 42 | 126 | 168 |
| 3 | 2022–23 | 35 | 105 | 140 |
| 4 | 2023–24 | 35 | 105 | 140 |
| 5 | 2024–25 (दिसंबर 2024) | 35 | 105 | 140 |

उपरोक्त सभी तालिकाओं से स्पष्ट है की छत्तीसगढ़ खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड के माध्यम से क्रियान्वित योजनाओं द्वारा वित्तीय वर्ष 2024–25 में दिनांक 31–12–2024 तक प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम अंतर्गत अनुदान राशि 886.57लाख का वितरण कर 354 ग्रामोद्योग इकाईयां स्थापित कराया गया, जिसके माध्यम से 3894 व्यक्तियों को एवं मुख्यमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रमयोजनान्तर्गत अनुदान राशि रू. 211.80 लाख का वितरण कर 278 ग्रामोद्योग इकाईयां स्थापित कराकर 1668 व्यक्तियों को रोजगार उपलब्ध कराया गया।

कारीगर प्रशिक्षण अंतर्गत 205 प्रशिक्षणार्थियों के लिए राशि रूपये 25.20 लाख तथा बोर्ड के विभागीय खादी उत्पादन केन्द्रों के माध्यम से राशि रू. 318.85 लाख के खादी वस्त्रों का उत्पादन कराकर 593 लोगों को रोजगार दिया जा रहा है तथा विभागीय विक्रय भण्डारों एवं केन्द्रीय भंडार (केन्द्रीय वस्त्रागार), ग्रामोद्योग एम्पोरियम, खादी एम्पोरियम के माध्यम से राशि रू. 2193.08 लाख का विक्रय किया गया साथ ही पं. दीनदयाल उपाध्याय ग्रामोद्योग शिल्प केन्द्र (बांसकला), जगदलपुर में राशि रू. 52.57 लाख का बांस शिल्प उत्पाद विक्रय किया गया। खादी वस्त्रों के विक्रय में और अधिक वृद्धि करने के लिए खादी का प्रचार–प्रसार किया जा रहा है।

**निष्कर्ष**

आज हम पूरे प्रमाण के साथ यह कह सकते हैं कि खादी ग्रामोद्योग ने न केवल ग्रामीण इलाकों में लोगों के जीने का तरीका बदला है, बल्कि देश की आर्थिक प्रगति में भी बड़ी भूमिका निभाई है। देश की लगभग 74 प्रतिशत ग्रामीण आबादी के मन में अपना खुद का उद्योग शुरू करने का आत्मविश्वास जगाना और उन्हें आधुनिक औद्योगिक दुनिया से जोड़ना खादी ग्रामोद्योग की एक बड़ी उपलब्धि है।

विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं के माध्यम से जिस तरह से इन कार्यक्रमों को जमीन पर उतारा गया है, वह वाकई काबिले तारीफ है। इसी सोच के साथ, सरकार खादी ग्रामोद्योग बोर्ड के जरिए छोटे और कुटीर उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए लगातार नए रोजगारपरक कार्यक्रम चला रही है। इन प्रयासों का एकमात्र उद्देश्य यही है कि गांवों में रोजगार के इतने अवसर पैदा हों कि हर हाथ को सम्मानजनक काम मिल सके।

**सुझाव**

1. तकनीकी उन्नयन एवं संस्थागत सहभागिता– पारंपरिक कलाओं के संरक्षण के साथ–साथ यह आवश्यक है कि ग्रामोद्योगों में आधुनिक तकनीक का समावेश किया जाए। कारीगरों के कौशल विकास और उत्पादों को सूचना प्रौद्योगिकी से जोड़कर उन्हें वर्तमान बाजार की मांग के अनुरूप तैयार किया जाना चाहिए। इसके अतिरिक्त, निजी क्षेत्रों, अशासकीय संस्थाओं और स्वयं सहायता समूहों के साथ समन्वय स्थापित कर ग्रामीण रोजगार की नई संभावनाओं को प्रोत्साहित करना अनिवार्य है।

2. कृषि आधारित उद्योगों का सुदृढ़ीकरण– ग्रामीण अर्थव्यवस्था की कृषि पर निर्भरता को देखते हुए, कृषि प्रसंस्करण और उद्यानिकी विकास पर विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए। ग्रामीण कलस्टरों में कारीगरों से संबंधित लघु एवं कुटीर उद्योगों को प्राथमिकता देकर स्थानीय स्तर पर ही आर्थिक स्वावलंबन सुनिश्चित किया जा सकता है।

3. गुणवत्ता सुधार एवं विपणन सक्षमता– उत्पादों को बाजारोन्मुखी बनाने हेतु उनकी गुणवत्ता और डिजाइन में निरंतर सुधार की आवश्यकता है। उद्यमियों को बाजार अनुसंधान (डंतामज त्मेमंतबी) की सुविधा और आवश्यक सहायता प्रदान की जानी चाहिए, जिससे वे अपने उत्पादों का स्वयं प्रभावी विपणन (डंतामजपदह) करने में आत्मनिर्भर बन सकें।

4. अंतर्राष्ट्रीय बाजार एवं निर्यात प्रोत्साहन– स्थानीय उत्पादों की पहुंच वैश्विक स्तर तक सुनिश्चित करने के लिए निर्यात की संभावनाओं को तराशना होगा। ग्रामोद्योगों को अंतर्राष्ट्रीय बाजार से जोड़ने के लिए निरंतर मार्गदर्शन और तकनीकी सहायता उपलब्ध कराई जाए। इन प्रयासों से ही गांधीजी के श्हर तन को कपड़ा और हर हाथ को कामश के महान स्वप्न को धरातल पर साकार किया जा सकता है।

**सन्दर्भ ग्रन्थ सूची**

1 गौतम, नीरज कुमार (2014),ग्रामीण रोजगार और लघु एवं कुटीर उद्योग, कुरूक्षेत्र

2 जिला प्र ाासन खादी एवं ग्रामोद्योग विभाग जिला गरियाबंद छत्तीसगढ

3 ग्रामोद्याग विभाग वार्शिक प्र ाासकीय प्रतिवेदन(2023–24)

4 ग्रामोद्याग विभाग वार्शिक प्र ाासकीय प्रतिवेदन(2024–25)

5 उद्योग मार्गदर्शिका , जिला व्यापर एवम् उद्योग केंद्र ,गरियाबंद

6 देवांगन डी., एवं टांडेकर के. एल. (2018). आय और रोजगार के सृजन में खादी ग्रामोद्योग की योजनाओं का मूल्यांकन (एक अध्ययन राजनांदगांव जिले के विशेष संदर्भ में). शास. दि. स्नातकोत्तर महाविद्यालय, राजनांदगांव (छ.ग.).